संख्या-9/2018/470/46-1-18-1000(59)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, शामली, मेरठ, हापुड़., गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2018

विषयः-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1730/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 26-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण योजना हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती के कुल 51 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक-1 में 49 सम्पर्क मार्गो के कालम-8 में अंकित कुल संशोधित लागत रू. 2374.895 लाख एवं 02 नये सम्पर्क मार्गो (संलग्नक-2 के अनुसार) की लागत रूपया 125.091 लाख सम्मिलित करते हुये अर्थात कुल धनराशि रू. 2499.986 लाख (रूपया चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख अटठानबे हजार छ सौ मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष संलग्नकों के स्तम्भ -6 की सड़कवार/परियोजनावार के संलग्नक-1 के स्तम्भ -9 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 1999.984 (रूपये उन्नीस करोड़ निन्यानबे लाख अटठानबे हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-3/2018/1701/46-1-17-1000(59)/2017 दिनांक 19.01.2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपया 999.992 लाख सड़कवार/ परियोजनावार का समायोजन करने के उपरान्त अवशेष धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1 के स्तम्भ-11 के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू. 899.919 लाख एवं संलग्नक -2 में उल्लिखित 02 नये सम्पर्क मार्गो हेतु स्तम्भ- 11 के अनुसार धनराशि रू. 100.073 लाख अर्थात कुल धनराशि रू. 999.992 लाख (रूपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक तालिका के कालम-14 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक तालिका के स्तम्भ-17 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2018) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सा`पेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-169/दस, दिनांक 16 मार्च 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2018/470(1)/46-1-18-1000(59)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।

9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

14- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-9/2018/470/46-1-18-1000(59)/2017, लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2018 का संलग्नक-1

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	परिषद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार													
						संशोधित विवरण के अनुसार		लागत के सापेक्ष राज्यांश (ला.रू.)			वानिकीकरण (ला.रू.)			सेन्टेज की धनराशि (ला.रू0.)			मार्ग के निर्माणहेतु वानिकीकरण सेन्टेज रहित धनराशि (ला. रू.)		
						लम्बाई (कि.मी. में)	संशोधित लागत (ला. रू.)	लागत पर देय कुल राज्यांश की धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यांश (ला. रू.) (9-10)	देय कुल राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यांश (ला. रू.) (12-13)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यांश (ला. रू.) (15-16)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकीकरण सेन्टेज रहित कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यांश (ला. रू.) (18-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सहारनपुर	सहारनपुर	देवबन्द	1	देवबन्द नन्हेडा मार्ग से शमशान घाट की ओर	0.675	24.530	19.624	11.288	8.336	0.086	0.050	0.036	2.151	1.237	0.914	17.387	10.001	7.386
				1	**जनपद योग-**	**0.675**	**24.530**	**19.624**	**11.288**	**8.336**	**0.086**	**0.050**	**0.036**	**2.151**	**1.237**	**0.914**	**17.387**	**10.001**	**7.386**
2	सहारनपुर	शामली	शामली	1	ताना गेट से रामऔतार पुत्र श्री धारा सिंह के मकान तक	0.400	27.503	22.002	11.001	11.001	0.096	0.049	0.047	2.412	1.206	1.206	19.494	9.746	9.748
3	सहारनपुर	शामली	शामली	2	मेरठ करनाल मार्ग नया गांव सड़क से टपराना टंकी तक	0.465	20.358	16.286	8.143	8.143	0.071	0.035	0.036	1.785	0.893	0.892	14.430	7.215	7.215
4	सहारनपुर	शामली	शामली	3	दिल्ली सहारनपुर रोड से गेमतीपुर	1.145	49.082	39.265	19.633	19.632	0.172	0.086	0.086	4.304	2.152	2.152	34.789	17.395	17.394
5	सहारनपुर	शामली	थाना भवन	4	थाना भवन ऊन मार्ग से युनुसपुर मार्ग अवशेष भाग	0.600	27.476	21.980	10.990	10.990	0.096	0.048	0.048	2.410	1.205	1.205	19.474	9.737	9.737
6	सहारनपुर	शामली	थाना भवन	5	कैल शिकारपुर रजबाहा पुल से पक्की सड़क तक	0.550	46.823	37.458	18.729	18.729	0.164	0.082	0.082	4.106	2.053	2.053	33.188	16.594	16.594
7	सहारनपुर	शामली	थाना भवन	6	मन्टी हसनपुर में गुरूवचन के मकान से अमर सिंह के खेत तक	0.900	51.194	40.955	20.477	20.478	0.180	0.090	0.090	4.490	2.244	2.246	36.285	18.143	18.142
8	सहारनपुर	शामली	थाना भवन	7	महावतपुर से दिल्ली सहारनपुर रोड की ओर नीरज की ट्यूबवेल तक	0.445	19.220	15.376	7.688	7.688	0.067	0.033	0.034	1.686	0.842	0.844	13.623	6.813	6.810
				7	**योग जनपद-**	**4.505**	**241.656**	**193.322**	**96.661**	**96.661**	**0.846**	**0.423**	**0.423**	**21.193**	**10.595**	**10.598**	**171.283**	**85.643**	**85.640**
9	मेरठ	मेरठ	मवाना	1	दयालपुर पुल से रजवाहे की पटरी होते हुये अमर सिंह तक	0.910	42.795	34.236	16.756	17.480	0.150	0.074	0.076	3.753	1.837	1.916	30.333	14.845	15.488
10	मेरठ	मेरठ	मलियाना	2	जगेठी लखवाया रोड से घसौली मार्ग	0.300	14.407	11.526	5.668	5.858	0.051	0.025	0.026	1.263	0.621	0.642	10.212	5.022	5.190
11	मेरठ	मेरठ	दौराला	3	सरधना जुल्हेडा मार्ग से मैहरमती गणेशपुर (लोकप्रिय स्कूल) मार्ग	1.100	48.875	39.100	19.448	19.652	0.171	0.085	0.086	4.286	2.131	2.155	34.643	17.232	17.411
12	मेरठ	मेरठ	दौराला	4	दौराला बफावत मार्ग से सहीपुर सेक्टर मार्ग	1.000	54.690	43.752	21.876	21.876	0.192	0.096	0.096	4.796	2.398	2.398	38.764	19.382	19.382
13	मेरठ	मेरठ	दौराला	5	दौराला शमशान घाट रोड से लल्लू की ट्यूबवेल तक मार्ग	0.500	22.052	17.641	8.820	8.821	0.077	0.038	0.039	1.934	0.966	0.968	15.630	7.816	7.814
				5	**योग जनपद**	**3.810**	**182.819**	**146.255**	**72.568**	**73.687**	**0.641**	**0.318**	**0.323**	**16.032**	**7.953**	**8.079**	**129.582**	**64.297**	**65.285**
14	मेरठ	हापुड	घौलाना	1	ग्राम छपकौली जू.हाईस्कूल से कार्काडी सतावन मार्ग	0.350	18.748	14.998	8.663	6.335	0.066	0.038	0.028	1.644	0.949	0.695	13.288	7.676	5.612
15	मेरठ	हापुड	सिम्भावली	2	ग्राम रसूलपुर नहर के पुल से प्रा.स्कूल तक	0.450	18.183	14.546	8.660	5.886	0.064	0.038	0.026	1.595	0.949	0.646	12.887	7.673	5.214
				2	**योग जनपद**	**0.800**	**36.931**	**29.544**	**17.323**	**12.221**	**0.130**	**0.076**	**0.054**	**3.239**	**1.898**	**1.341**	**26.175**	**15.349**	**10.826**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16	मेरठ	गा0बाद	मोदीनगर	1	तिवड़ा काली रोड से तिवड़ा बाईपास मार्ग	0.340	15.751	12.601	6.088	6.513	0.055	0.026	0.029	1.381	0.667	0.714	11.165	5.395	5.770
				1	**योग जनपद**	**0.340**	**15.751**	**12.601**	**6.088**	**6.513**	**0.055**	**0.026**	**0.029**	**1.381**	**0.667**	**0.714**	**11.165**	**5.395**	**5.770**
17	मुरादाबाद	बिजनौर	बरकातपुर	1	ग्राम तिसोतरा के तालाब से होते हुए तिसोतरा हरिद्वार सम्पर्क मार्ग तक	0.800	40.401	32.321	16.180	16.141	0.142	0.071	0.071	3.543	1.773	1.770	28.636	14.336	14.300
				1	**योग जनपद**	**0.800**	**40.401**	**32.321**	**16.180**	**16.141**	**0.142**	**0.071**	**0.071**	**3.543**	**1.773**	**1.770**	**28.636**	**14.336**	**14.300**
18	मुरादाबाद	अमरोहा	अमरोहा	1	पृथ्वीपुर बारसपुर मार्ग से अमनीपुर मार्ग	0.850	48.332	38.665	19.332	19.333	0.170	0.085	0.085	4.239	2.119	2.120	34.256	17.128	17.128
19	मुरादाबाद	अमरोहा	अमरोहा	2	अमरोहा शहदौली मार्ग से बुडेरना मार्ग	1.100	64.465	51.572	25.818	25.754	0.226	0.113	0.113	5.653	2.830	2.823	45.693	22.875	22.818
				2	**योग जनपद**	**1.950**	**112.797**	**90.237**	**45.150**	**45.087**	**0.396**	**0.198**	**0.198**	**9.892**	**4.949**	**4.943**	**79.949**	**40.003**	**39.946**
20	मुरादाबाद	मुरादाबाद	अगवानपुर	1	खानपुर मानपुर कावंड पथ से रेलवे क्रासिंग की ओर	1.280	77.418	61.934	32.470	29.464	0.272	0.142	0.130	6.789	3.559	3.230	54.873	28.769	26.104
				1	**योग जनपद**	**1.280**	**77.418**	**61.934**	**32.470**	**29.464**	**0.272**	**0.142**	**0.130**	**6.789**	**3.559**	**3.230**	**54.873**	**28.769**	**26.104**
21	मुरादाबाद	सम्भल	असमौली	1	असमौली से खानपुर डी.सी.एम. शुगर मिल मार्ग	1.000	67.996	54.397	27.845	26.552	0.239	0.122	0.117	5.963	3.052	2.911	48.195	24.671	23.524
				1	**योग जनपद**	**1.000**	**67.996**	**54.397**	**27.845**	**26.552**	**0.239**	**0.122**	**0.117**	**5.963**	**3.052**	**2.911**	**48.195**	**24.671**	**23.524**
22	मुरादाबाद	रामपुर	कमटी मिलक	1	ग्राम डोहरिया में अमन बाल्मिकी के घर से जिवाई कदीम मार्ग	1.050	55.655	44.524	22.262	22.262	0.195	0.097	0.098	4.881	2.440	2.441	39.448	19.725	19.723
				1	**योग जनपद**	**1.050**	**55.655**	**44.524**	**22.262**	**22.262**	**0.195**	**0.097**	**0.098**	**4.881**	**2.440**	**2.441**	**39.448**	**19.725**	**19.723**
23	बरेली	पीलीभीत	पीलीभीत	1	सुहास से वाहनपुर गांव तक तृतीय भाग	0.990	55.498	44.398	23.119	21.279	0.195	0.101	0.094	4.867	2.534	2.333	39.336	20.484	18.852
				1	**योग जनपद**	**0.990**	**55.498**	**44.398**	**23.119**	**21.279**	**0.195**	**0.101**	**0.094**	**4.867**	**2.534**	**2.333**	**39.336**	**20.484**	**18.852**
24	लखनऊ	लखीमपुर	बेलरायां	1	सुक्खनपुरवा मार्ग से प्रा0 वि0 घनश्यामपुरवा शेष भाग	0.900	55.576	44.461	24.973	19.488	0.195	0.110	0.085	4.874	2.737	2.137	39.392	22.126	17.266
25	लखनऊ	लखीमपुर	बेलरायां	2	त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा अवशेष भाग	1.139	63.711	50.969	27.634	23.335	0.223	0.121	0.102	5.587	3.029	2.558	45.159	24.484	20.675
26	लखनऊ	लखीमपुर	ऐरा	3	चन्दवापुर मार्ग से धुन्धा कलां सम्पर्क मार्ग	0.330	24.027	19.222	11.520	7.702	0.084	0.050	0.034	2.107	1.262	0.845	17.031	10.208	6.823
27	लखनऊ	लखीमपुर	सम्पूर्णानगर	4	भूपनगर से मिर्चिया गुरूद्वारा प्र0	1.000	55.047	44.038	24.656	19.382	0.193	0.108	0.085	4.827	2.702	2.125	39.018	21.846	17.172
28	लखनऊ	लखीमपुर	गुलरिया	5	भीरा पलिया मार्ग से मटेहिया प्रा0 विद्यालय तक	0.915	45.182	36.146	20.885	15.261	0.158	0.092	0.066	3.962	2.289	1.673	32.026	18.504	13.522
29	लखनऊ	लखीमपुर	गोला	6	सिसांवा कला कोरैया मुफरत मार्ग से कोटवा मार्ग	1.140	67.986	54.389	27.089	27.300	0.238	0.119	0.119	5.962	2.970	2.992	48.189	24.000	24.189
30	लखनऊ	लखीमपुर	कुम्भी	7	मगदापुर पू0मा0 विद्यालय से भोगियापुर ,मढिया रोड तक ।	0.970	50.755	40.604	23.664	16.940	0.178	0.104	0.074	4.451	2.594	1.857	35.975	20.966	15.009
31	लखनऊ	लखीमपुर	जे0बी0गंज	8	एन0एच0 24 मार्ग से सेण्डानार्थ मार्ग प्र0 भाग	1.040	58.738	46.990	26.516	20.474	0.206	0.116	0.090	5.151	2.907	2.244	41.633	23.493	18.140
32	लखनऊ	लखीमपुर	खम्भारखेडा	9	लखपेडागंज अस्पताल से बंजरिया पक्के मार्ग तक	1.370	75.278	60.222	34.140	26.082	0.264	0.149	0.115	6.602	3.742	2.860	53.356	30.249	23.107
33	लखनऊ	लखीमपुर	कमेटी अर्नीखना	10	झलरिया से मदारापुर तक	1.000	53.834	43.067	24.591	18.476	0.189	0.108	0.081	4.721	2.696	2.025	38.157	21.787	16.370
				10	**योग जनपद**	**9.804**	**550.134**	**440.108**	**245.668**	**194.440**	**1.928**	**1.077**	**0.851**	**48.244**	**26.928**	**21.316**	**389.936**	**217.663**	**172.273**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

34	लखनऊ	सीतापुर	हरगांव	1	हरगांव लहरपुर रोड से रामपुर बरौरा मार्ग रपटा सहित	0.780	77.488	61.990	36.920	25.070	0.272	0.162	0.110	6.795	4.047	2.748	54.923	32.711	22.212
35	लखनऊ	सीतापुर	हरगांव	2	अन्दौली मार्ग से उदयपुर	1.200	83.601	66.881	39.218	27.663	0.293	0.172	0.121	7.332	4.299	3.033	59.256	34.747	24.509
36	लखनऊ	सीतापुर	हरगांव	3	हरगांव कुशियारी पक्के मार्ग से शंकरपुर तक	0.900	63.079	50.463	29.849	20.614	0.221	0.131	0.090	5.532	3.272	2.260	44.710	26.446	18.264
37	लखनऊ	सीतापुर	महोली	4	चमखर मन्दिर से सरस्वती शिशु मन्दिरतक	0.200	16.294	13.035	6.548	6.487	0.057	0.029	0.028	1.429	0.717	0.712	11.549	5.802	5.747
38	लखनऊ	सीतापुर	जवाहरपुर	5	सरैया मैनासी पक्के मार्ग से नेवादा मार्ग	1.100	80.845	64.676	36.308	28.368	0.284	0.159	0.125	7.090	3.980	3.110	57.302	32.169	25.133
39	लखनऊ	सीतापुर	बिसवाँ	6	बन्नी घुरैनी के पूरब डामर रोड से इमली गांव	1.740	107.251	85.801	37.760	48.041	0.376	0.165	0.211	9.406	4.139	5.267	76.019	33.456	42.563
				6	**योग जनपद**	**5.920**	**428.558**	**342.846**	**186.603**	**156.243**	**1.503**	**0.818**	**0.685**	**37.584**	**20.454**	**17.130**	**303.759**	**165.331**	**138.428**
40	लखनऊ	हरदोई	लोनी	1	नगला भगवान रोड से शर्मा हाल्ट मार्ग भाग 2	0.900	61.377	49.102	25.640	23.462	0.215	0.113	0.102	5.383	2.811	2.572	43.504	22.716	20.788
				1	**योग जनपद**	**0.900**	**61.377**	**49.102**	**25.640**	**23.462**	**0.215**	**0.113**	**0.102**	**5.383**	**2.811**	**2.572**	**43.504**	**22.716**	**20.788**
41	देवीपाटन	गोण्डा	मनकापुर	1	गोपालपुर छुटका पुरवा से कुली बनकट	0.800	44.034	35.227	20.424	14.803	0.154	0.090	0.064	3.862	2.238	1.624	31.211	18.096	13.115
42	देवीपाटन	गोण्डा	मनकापुर	2	पिकौरा बेलवा पेन्टेड रोड से छुटकी खजुरी होते हुये हनुमान गंज बाजार तक	0.650	48.633	38.906	19.372	19.534	0.171	0.085	0.086	4.265	2.124	2.141	34.470	17.163	17.307
				2	**योग जनपद**	**1.450**	**92.667**	**74.133**	**39.796**	**34.337**	**0.325**	**0.175**	**0.150**	**8.127**	**4.362**	**3.765**	**65.681**	**35.259**	**30.422**
43	देवीपाटन	बलरामपुर	बलरामपुर	1	जुआथान भैसहवा मार्ग से मनिकाकोट तक	0.565	33.990	27.192	13.104	14.088	0.119	0.058	0.061	2.981	1.437	1.544	24.092	11.609	12.483
44	देवीपाटन	बलरामपुर	बलरामपुर	2	जुआथान भैसहवा मार्ग से (स्पेक्टर झाला) धर्मपुर लक्ष्मी नरायन पुर डीह वीरपुर पेन्टेड	0.650	42.410	33.928	16.356	17.572	0.149	0.072	0.077	3.719	1.792	1.927	30.060	14.492	15.568
45	देवीपाटन	बलरामपुर	तुलसीपुर	3	तुलसीपुर जरवामार्ग से लौकी खुर्द ग्राम तक	1.150	68.660	54.928	27.612	27.316	0.241	0.121	0.120	6.021	3.027	2.994	48.666	24.464	24.202
				3	**योग जनपद**	**2.365**	**145.060**	**116.048**	**57.072**	**58.976**	**0.509**	**0.251**	**0.258**	**12.721**	**6.256**	**6.465**	**102.818**	**50.565**	**52.253**
46	देवीपाटन	बहराइच	नानपारा	1	नानपारा बहराइच मार्ग से दुर्गापुरवा ग्राम तक	0.750	58.770	47.016	23.508	23.508	0.206	0.103	0.103	5.154	2.577	2.577	41.656	20.828	20.828
				1	**योग जनपद**	**0.750**	**58.770**	**47.016**	**23.508**	**23.508**	**0.206**	**0.103**	**0.103**	**5.154**	**2.577**	**2.577**	**41.656**	**20.828**	**20.828**
47	गोरखपुर	बस्ती	वाल्टरगंज	1	बस्ती डुमरियागंज मार्ग से मिश्रौलिया सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य	0.450	29.030	23.224	11.612	11.612	0.102	0.051	0.051	2.546	1.273	1.273	20.576	10.288	10.288
48	गोरखपुर	बस्ती	विक्रमजोत	2	परसा परशुरामपुर मार्ग से ग्राम यरता से करगहना तक लेपन	0.800	68.757	55.005	27.503	27.502	0.241	0.121	0.120	6.030	3.015	3.015	48.734	24.367	24.367
49	गोरखपुर	बस्ती	विक्रमजोत	3	विशेषरगंज महुघाट मार्ग से ग्राम नरायनपुर तक लेपन	0.500	29.090	23.272	11.636	11.636	0.102	0.051	0.051	2.551	1.275	1.276	20.619	10.310	10.309
				3	**योग जनपद**	**1.750**	**126.877**	**101.501**	**50.751**	**50.750**	**0.445**	**0.223**	**0.222**	**11.127**	**5.563**	**5.564**	**89.929**	**44.965**	**44.964**
				49	**प्रदेश योग-**	**40.139**	**2374.895**	**1899.911**	**999.992**	**899.919**	**8.328**	**4.384**	**3.944**	**208.271**	**109.608**	**98.663**	**1683.312**	**886.000**	**797.312**

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-9/2018/470/46-1-18-1000(59)/2017, लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2018 का संलग्नक-2

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	परिषद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार													
						संशोधित विवरण के अनुसार		लागत के सापेक्ष राज्यांश (ला.रू.)			वानिकीकरण (ला.रू.)			सेन्टेज की धनराशि (ला.रू0.)			मार्ग के निर्माणहेतु वानिकीकरण सेन्टेज रहित धनराशि (ला. रू.)		
						लम्बाई (कि.मी. में)	संशोधित लागत (ला. रू.)	लागत पर देय कुल राज्यांश की धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यॉंश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यॉंश (ला. रू.) (9-10)	देय कुल राज्यॉंश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यॉंश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यॉंश (ला. रू.) (12-13)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यॉंश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यॉंश (ला. रू.) (15-16)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकीकरण सेन्टेज रहित कुल धनराशि (ला. रू.)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यॉंश (ला. रू.)	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हेतु राज्यॉंश (ला. रू.) (18-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	बरेली	पीलीभीत	पीलीभीत	1	सुहास से वाह्नपुर गांव तक शेष भाग	0.400	26.000	20.800	0.000	20.800	0.091	0.000	0.091	2.280	0.000	2.280	18.429	0.000	18.429
51	लखनऊ	सीतापुर	बिसवां	1	जहांगीराबाद से त्रिलोकपुर	1.500	99.091	79.273	0.000	79.273	0.348	0.000	0.348	8.690	0.000	8.690	70.235	0.000	70.235
					कुल योग-	1.900	125.091	100.073	0.000	100.073	0.439	0.000	0.439	10.970	0.000	10.970	88.664	0.000	88.664

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।